

प्रतिक्रिया करने वाले दो लोगों द्वारा २५.३८.२००४ दिनांकम् द्वारा।
विविध संस्कृति विषय परिवर्ती के लिए दो दिन अधिक समय लिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें विविध संस्कृति विषय परिवर्ती के लिए दो दिन अधिक समय लिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें विविध संस्कृति विषय परिवर्ती के लिए दो दिन अधिक समय लिया जाना चाहिए।

क्रम संख्या—74 द्वारा दो लोगों द्वारा दिनांक २५.३८.२००४ दिनांकम् द्वारा।
पंजीकृत संख्या—४०५० / डी०५०-३०/०३
(लाइसेन्स दू पोर्ट विदाचन्त्र प्रीप्रेसेन्ट)



गुजरात राज्य सरकार द्वारा दिनांक २५.३८.२००४ दिनांकम् द्वारा।
विविध संस्कृति विषय परिवर्ती के लिए दो दिन अधिक समय लिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें विविध संस्कृति विषय परिवर्ती के लिए दो दिन अधिक समय लिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें विविध संस्कृति विषय परिवर्ती के लिए दो दिन अधिक समय लिया जाना चाहिए।

गुजरात राज्य सरकार द्वारा दिनांक २५.३८.२००४ दिनांकम् द्वारा।
विविध संस्कृति विषय परिवर्ती के लिए दो दिन अधिक समय लिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें विविध संस्कृति विषय परिवर्ती के लिए दो दिन अधिक समय लिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें विविध संस्कृति विषय परिवर्ती के लिए दो दिन अधिक समय लिया जाना चाहिए।

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—४, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 मई, 2005 ई०

ज्येष्ठ ०५, १९२७ शक समवत्

उत्तरांचल शासन

पशुपालन अनुभाग

संख्या २४९/XV-१/२००५

देहरादून, २६ मई, २००५

अधिसूचना

प० आ०-६५

उत्तरांचल पशुधन प्रजनन नीति 2005 को निम्न विवरण के अनुसार गजट में प्रकाशित होने की तिथि से उत्तरांचल प्रदेश में लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उत्तरांचल पशुधन प्रजनन नीति का प्रसार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य होगा और यह उत्तरांचल के समस्त पशुधन यथा—गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, खब्बर, गर्दम, सूकर, याक एवं कुकुट आदि पशु—पश्चिमी के लिए प्रभावी होगा तथा प्रदेश में पशुधन के क्षेत्र में कार्यरत समस्त विभागों, संस्थानों एवं सरकारी/ साहकारी/ गैर सरकारी संस्थाओं आदि पर लागू होगा।

परिचय

उत्तरांचल राज्य का उदय देश के २७वें राज्य के रूप में १ नवम्बर, 2000 को हुआ। इसके गठन के गूज में यह अवधारणा थी कि राज्य की आधिक दृष्टि की दर को उचित प्रशासनीय, तकनीकी एवं जनसहायी तंत्र के विकास द्वारा गति प्रदान की जाय। यह प्रदेश भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, खब्बर तथा मुर्गी—कुकुट जैसे पशुधन से सम्बन्धित है।

उत्तरांचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ५३,४८३ वर्ग किलोमीटर है। जिसकी जनसंख्या वर्तमान में लगभग ८४,७९,५६२ (वर्ष २००१) है। प्रदेश की मूल आधिक व्यवस्था मुख्यतया कृषि, वाणिकी एवं पशुपालन

पर आधारित है तथा इसके विकास की प्रमुख संभावनाएँ अनुभव की जा रही हैं। मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण उत्तरांचल राज्य में न केवल कृषि एवं पशुपालन में पर्याप्त विविधता है अपितु इनके उत्पादन एवं उत्पादकता में भी काफी अंतर है। उदाहरणार्थ—दूध एवं अन्य पशुधन जन्य उत्पादों का उत्पादन मैदानी क्षेत्रों के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में काफी कम है।

उत्तरांचल की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ, उपलब्ध संसाधनों में अंतर तथा पर्यावरणीय संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए पशुधन जन्य उत्पादन में वृद्धि एवं उसके पौधण सुरक्षा तथा रख—रखाव की सुनिश्चित करने हेतु उत्तरांचल पशुधन नीति, 2005 तैयार की गई है।

वर्तमान स्थिति

1. वर्ष 2003 की पशुधन गणना के अनुसार राज्य में 21.88 लाख गाय, 12.28 लाख भैंस, 11.58 लाख बकरियाँ, 2.96 लाख गोड़ एवं 19.84 लाख मुर्गी/कुकुरुट थे। उत्तरांचल में संकर गायों की संख्या 2.28 लाख है, जो कुल संख्या का मात्र 10.42% ही है। प्रजनन योग्य मादा गायों की संख्या वर्ष 2003 में 7.58 लाख थी, जिनमें 6.51 लाख देरी और अक्षातकुल तथा 1.07 लाख संकरित थी। प्रदेश में प्रजनन योग्य मादा भैंसों लगभग 7.37 लाख हैं। राज्य में प्रति गाय प्रति दिन औसत दुध उत्पादन 1.75 किलोग्राम एवं प्रति भैंस औसत दैनिक दुध उत्पादन 2.87 किलोग्राम है।

2. इस तरह उत्तरांचल राज्य में पशुधन की विभिन्न प्रजातियों की संख्या संबंधी प्राथमिक/बुनियादी आंकड़े उपलब्ध हैं, और विभिन्न कृषि—वर्गों में पशुधन के वितरण तथा आजीविका में पशुधन की प्रासंगिकता, पशुधन उत्पादन मात्रा तथा मूल्य एवं पशुधन का राज्य की आधिक रिक्ति (सकल घरेलू उत्पाद) में महत्वपूर्ण योगदान है।

3. राज्य में भूमि उपयोग का तरीका (वर्गों तथा पहाड़ी भू—मार की आधिकता के कारण कृषि भूमि का सीमित होना), अपेक्षाकृत अधिक वर्षा, प्राकृतिक पशुधनित भूमि की पर्याप्तता, अनुकूल जलवाया आदि कारक उत्तरांचल में पशुधन उत्पादन के अपार अवसर उत्पन्न करते हैं।

4. दूध अण्डा, कुकुरुट भास एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने, मानव आहार में पशुजन्य प्रोटीनों की मात्रा में अपेक्षित करने, पशु जीविक विविधता संरक्षण को प्रोत्ताहित करने और पशुधन एवं कुकुरुट की स्थानीय नरलों के संरक्षण के साथ—साथ संकर प्रजनन को कम उत्पादक पशुओं तक सीमित रखने, पशुओं के संचारी रोगों एवं जीवाणुओं/विषाकृतों के नियंत्रण व उन्नत तथा पशुओं के भरण—पोथण और उत्पादन में वृद्धि हेतु पशु उत्पादन तथा पशु चारा सौतों में बढ़ोतारी करने के साथ—साथ पशुपालकों को रोजगार/स्वरोजगार के सासाधन उपलब्ध करावाकर उनकी आय में वृद्धि हेतु यह पशुधन प्रजनन नीति राज्य की आवश्यकता बन गई है।

5. यह नीति प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रजनन नीति, उत्तरांचल कृषि नीति में समाहित पशुधन प्रजनन नीति के महत्वपूर्ण बिन्दुओं एवं पशु प्रजनन विशेषज्ञों की अध्ययन रिपोर्ट और स्थानीय अनुभवों के आधार पर जारी हो रही है।

पशुधन प्रजनन नीति की परिकल्पना

1. पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) में वृद्धि करना।

2. पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध कराना।

3. पशुननल सुधार हेतु विभिन्न पशु प्रजनन विधाओं, (कृत्रिम गर्भाधान/नैसर्जिक अभिजनन/भूषण प्रत्यारोपण) के माध्यम से बरणबद्ध रूप से वर्तमान 24 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2015 के अन्त तक शर्त—प्रतिशत प्रजनन योग्य पशुओं को संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम से आज्ञादित करके पशुधन प्रजनन की सुविधा पशुपालक के द्वारा पर उपलब्ध कराना।

4. दूध, अण्डा, कुकुरुट, भास एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करके प्रति व्याकेत आय में बढ़ोतारी करना।

5. पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की माझीदारी में बढ़ोतारी करना।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

१. पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाना।
२. पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के संसाधन सुलग कराना।
३. पशुओं के अनुवांशिक गुणों में वृद्धि करना तथा पशुधन की स्थानीय नस्लों को संरक्षित/सुरक्षित रखने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना।
४. दुध, अंडा, कुकुट मांस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदोथर्यों के उत्पादन में वृद्धि करना तथा मानव आहार में पशुजन्य प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करना।
५. पर्वतीय होत्रों में कृषि कार्य/मारवाहन हेतु पर्याप्त मात्रा में हृष्ट-पृष्ट बैलों की विभिन्नता आपूर्ति का सूजन सुनिश्चित करना।
६. मैदानी होत्रों को ढेयरी उद्यम से आच्छादित करने हेतु उच्च दुध उत्पादन, शीघ्र परिपक्वता, कम इंटर कार्विंग अवधि और उच्च जनन समता से युक्त इंटर-सि-मैटिंग हाफब्रेड दुधारु पशुओं की संख्या में अभिवृद्धि करना।
७. ज्ञात कुल की गोवंशीय देशी नस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल तथा हरियाणा आदि), जिनकी संख्या राज्य में अत्यंत कम है, के लिये उन्हीं नस्ल के शुद्ध संदर्भों का वीर्य उपलब्ध करवाकर इन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करना।
८. उत्तम ऊन विकास के लिए प्रयास करने के साथ ही गुणवत्तायुक्त ऊन एवं कालीन (कारपेट) ऊन के उत्पादन में वृद्धि लाना।
९. विद्यमान अवस्थापना तथा—पशु चिकित्सालयों, टीका एवं नैदानिक उत्पादन की इकाइयों, वीर्य उत्पादन केन्द्रों तथा कृषिम गमधिन केन्द्रों, गौशालाओं, पशुधन तथा कुकुट प्रजनन प्रबोत्रों के प्रभावी उपयोग हेतु उनका पुनर्दृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण करना।
१०. प्राइवेट सेक्टर, सहकारिताओं तथा ऐर सरकारी संगठनों को आवश्यक निवेशों तथा सेवाओं के लिये प्रोत्साहित करना।
११. पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण पशुपालकों को पौष्टि समर्थन एवं उनकी पूरक आय में वृद्धि करना तथा उनके लिए ग्रामीण परिवेश में रोजगार के संसाधन उत्पन्न/सृजित करना।
१२. पशुओं के भरण—पौष्टि उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु आहार तथा वारा स्रोतों में बढ़ोत्तरी करना और उनके लिए सस्ता पशु आहार विकसित करना।

पशुधन प्रजनन नीति

गौ एवं महिषवंशीय पशु

१. पर्वतीय होत्रों में बैल कृषि की रीढ़ है। इसलिये कृषि कार्य/मारवाहक पशु उत्पादन हेतु 1500 मी० से अधिक ऊँचाई वाले होत्रों में संस्तुत पशु प्रजनन नीति पर्वतीय होत्र के अज्ञात कुल (Non-Descript) गोवंशीय पशुओं में से चयनित अभिजनन (Selective Breeding) की होनी चाहिये।
२. पर्वतीय जनपदों में दुधारु पशुओं के लिये यह नीति अपनाई जाय कि स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) देशी गाय के प्रजनन/उन्नयन हेतु जर्सी के साथ क्रास ब्रीडिंग तत्पश्चात एक १ हाफ ब्रेड का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) जर्सी × साहीवाल अथवा जर्सी × रेड सिन्धी के साथ कराया जाये, जिससे Exotic blood level को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।
३. मैदानी होत्रों में दुधारु पशुओं के लिये यह नीति होनी चाहिए कि अज्ञात कुल के स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) देशी गाय के प्रजनन हेतु एच०एफ० से क्रास ब्रीडिंग और इसके बाद हाफ ब्रेड (एच०एफ० × साहीवाल/एच०एफ० × रेड सिन्धी/एच०एफ० × थारपारकर) का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) कराया जाये जिससे Exotic blood level को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।

4. भैंसों के लिये सम्पूर्ण राज्य में शुद्ध मुर्रा नरस्ल के साथ उन्नयन (Upgrading) किये जाने की सार्वभौमिक नीति अपनाई जानी चाहिए।

5. परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) के लिये प्रयुक्त होने वाले सभी सांड क्रासब्रेड (50 : 50) हों तथा भैंस के प्रजनन हेतु अनुवाशिक आधार पर मूल्यांकित (Pedigreed) भैंसा सांड हों।

6. ज्ञात कुल की गौवंशीय देशी नरस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल तथा हरियाणा) के लिये उसी नरस्ल के शुद्ध सांडों का वीर्य उपलब्ध कराकर इन प्रजातियों का संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित किया जाना है।

7. राष्ट्रीय महत्व की विलुप्तप्राय रेड सिन्धी नरस्ल को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने के लिए पशु प्रजनन प्रक्रीत कालरी को रेड सिन्धी नरस्ल के न्यूकलियस ब्रीडिंग कार्म के रूप में विकसित करके इस नरस्ल को Propagate किया जाय।

8. उत्तरांचल में पशुधन की स्थानीय प्रजातियों यथा—तराई नरस्ल की भैंस के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विशेष प्रयास करने हैं।

9. संक्षेप में गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की प्रजनन नीति का नियोजन निम्नवत् किया जायेगा :

क्र० सं०	जीन का नाम	प्रजनन नीति	विवरण
1.	जीन ए : 1000 मी० कंचाई तक—द्रौपिकल जीन, भैंदान, तराई, भावर, शिवालिक हिल एवं घाटियाँ	गाय : 1. स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) गाय का शुद्ध होल्स्टीन फ्रीजियन के साथ संकरण 2. एफ. के साथ (होल्स्टीन फ्रीजियन × साहीवाल / होल्स्टीन × रेड सिन्धी / होल्स्टीन फ्रीजियन × थारपारकर) का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) 3. ज्ञात कुल की देशी शुद्ध नरस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल एवं हरियाणा) का उसी नरस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से संकरण / उन्नयन भैंस : शुद्ध मुर्रा वीर्य से अपग्रेडिंग	क. जर्सी नरस्ल चुनने वाले को जर्सी एवं क्रासब्रेड जर्सी वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा ख. ज्ञात कुल की शुद्ध देशी नरस्ल की गायों का संकरण उसी नरस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से किया जायेगा राज्य भर में भैंस हेतु सार्वभौमिक नीति
2.	जीन बीः 1000 से 1500 मी० कंचाई तक—सबद्रौपिकल जीन	गाय : 1. शुद्ध जर्सी नरस्ल से स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) गाय का संकरण 2. एफ. के साथ (जर्सी × साहीवाल/जर्सी × रेड सिन्धी) का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) 3. ज्ञात कुल की देशी शुद्ध नरस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल एवं हरियाणा) का उसी नरस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से संकरण / उन्नयन भैंस : शुद्ध मुर्रा वीर्य से अपग्रेडिंग	क. होल्स्टीन फ्रीजियन नरस्ल चाहने वालों को होल्स्टीन फ्रीजियन एवं क्रासब्रेड होल्स्टीन फ्रीजियन का वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा ख. ज्ञात कुल की शुद्ध देशी नरस्ल की गायों का संकरण उसी नरस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से किया जायेगा राज्य भर में भैंस हेतु सार्वभौमिक नीति

क्र0 सं0	जोन का नाम	प्रजनन नीति	विवरण
3.	जोन सी : 1500 से 2400 मी0 कंचाई तक—कुल टैम्पेट जोन	गाय : 1. स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) गाय में चयनित प्रजनन (Selective Breeding) 2. ज्ञात कुल की देसी शुद्ध नस्लों (रेड सिर्फ़ी, साहीबाल एवं हरियाणा) का संकरण करने के लिए उपलब्ध ज्ञात कुल की शुद्ध देसी नस्लों के लिए संकरण मैंस/मैंस लाइन का शुद्ध मुर्ती वीर्य से अपग्रेडिंग	क. जर्सी नस्ल चुनने वाले को जर्सी एवं क्रासब्रेड जर्सी वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा ख. ज्ञात कुल की शुद्ध देसी नस्ल की गायों का संकरण उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से किया जायेगा राज्य भर में भैंस हेतु सार्वभौमिक नीति
2.	जोन ढी : 2400 मी0 कंचाई से अधिक—सबएल्पाइन एवं एल्पाइन जोन	गाय : स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) गाय में चयनित प्रजनन (Selective Breeding) मैंस :	जर्सी नस्ल चुनने वाले को जर्सी एवं क्रासब्रेड जर्सी वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा राज्य भर में भैंस हेतु सार्वभौमिक नीति

नोट: ये हेत्र जहां कृत्रिम गमधारन प्रस्तावित/प्रचलित नहीं हैं, प्रजनन नीति के लिए गाय/भैंसों में नैसर्जिक अभिजनन हेतु गाय/भैंसा सांड का उपयोग होगा।

भेड़, बकरी एवं अंगोरा शशक प्रजनन नीति

1. उत्तरांचल में भेड़ों की कुल जनसंख्या का एक तिहाई संकर नस्ल की भेड़ें हैं, जिन्हें मेरीनो/रेम्बुले नस्ल के शुद्ध वंशीय भेड़ों से संकर प्रजनन (Cross Breeding) करते हुए नस्ल का (Upgradations) किया जाना है।

2. शुद्ध स्थानीय नस्ल (गददी, रामपुर बुशायर, काली भेड़) के मध्य उन्नत गुणवत्ता वाले भेड़ों को चयनित करते हुए चयनित प्रजनन पद्धति (Selective Breeding) अपनायी जायेगी।

3. बकरी प्रजनन नीति के अन्तर्गत स्थानीय नस्ल के मध्य चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा। मैदानी हींत्रों में बरबरी व जमुनापारी नस्ल से क्रास बीडिंग/अपग्रेडिंग किया जायेगा। पर्वतीय हींत्र में मोहर के उत्पादन हेतु स्थानीय बकरियों में अंगोरा बकरे से प्रजनन कराया जाय और अंगोरा बकरी प्रजनन प्रहोत्र, घालदम (चमोली) में उपलब्ध जर्म्प्लाज्म के अन्तर्गत इनब्रीडिंग समाप्त करने हेतु अंगोरा बकरी के हड्ड को Replace किया जायेगा। बर्फाले अर्थात् उच्च तुंगता (High Altitude) वाले स्थानों पर पश्चीना बकरी के विकास सम्बन्धी प्रजनन कार्यक्रम चलाया जायेगा।

4. शाशक प्रजनन नीति के अन्तर्गत अंगोरा जर्मन शशकों के मध्य चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा तथा अंगोरा शशक प्रजनन हेतु इसके जर्म्प्लाज्म का आयात किया जायेगा और इनब्रीडिंग को रोकने के लिए इनकी Pure Line Breeding Adopt की जायेगी, जिसमें दो लाइन नर एवं दो लाइन मादा की रखी जायेगी।

सूकर प्रजनन नीति

1. पशु गणना 2003 के अनुसार प्रदेश में सूकरों की कुल संख्या 32712 है। पर्वतीय क्षेत्र में सूकर पालन को सामाजिक स्तरीकृति प्राप्त नहीं है, यद्यपि प्रदेश में इसके विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं।
2. सूकर प्रजनन नीति के लिए चयनित विदेशी बीड़—याक शायर/लार्ज काइट याक शायर (दोनों प्रजातियां भारत में उपलब्ध हैं) के साथ नैसर्जिक अभियान द्वारा अपयोगिता की जायेगी।

मार वाहक पशु प्रजनन नीति

- एक ऐनिमल (घोड़े, खच्चर, गधे) की प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में व्यापक मांग एवं आवश्यकताओं को देखते हुए पशुपालकों को उनके प्रजनन हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, भिलिट्री कार्म आदि के सहयोग से नैसर्जिक अभियान के साथ—साथ कृत्रिम गर्भाधान की भी सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे उत्तम गुणवत्ता के घोड़े, खच्चर एवं गधों का उत्पादन एवं प्रजनन किया जा सके।

याक प्रजनन नीति

- याक पशुओं हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों एवं अन्य पर्वतीय राज्यों से उत्तम गुणवत्ता के याक सांडों की आपूर्ति करके उनके प्रजनन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कुकुट प्रजनन नीति

1. कॉमर्शियल हाईबिड पोल्ट्री का प्रजनन पोल्ट्री उद्योग के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि उनके पास इस हेतु उत्कृष्ट संसाधन हैं। अतः कॉमर्शियल पोल्ट्री ब्रीड्स का प्रजनन कार्य इस क्षेत्र में कार्यरत निजी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।
2. घरेलू कुकुट पालन हेतु स्थानीय देशी (Non-Descript) बीड़ के कुकुटों में चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा तथा भारतीय परिवेश की स्थानीय बीड़ को संरक्षित किया जायेगा।
3. कुकुट पालकों को स्वरोजगार हेतु क्रॉयलर (Kuroiler) बूजों के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था की जायेगी तथा Dual Purpose Breed को बढ़ावा दिया जायेगा।

पशुधन प्रजनन नीति का क्रियान्वयन

1. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु स्वरथ एवं हृष्ट-पुष्ट बैलों की आपूर्ति के लिए स्थानीय अवर्गीकृत (Non-descript) गौवशीय पशुओं से उनकी गुणवत्ता के आधार पर नर-मादा का चयन करके Selective Breeding की जायेगी।

2. गौ एवं महिषवशीय पशुओं के प्रजनन हेतु पशु प्रजनन नीति के अनुसार उत्तम नस्ल के Pedigreed/Progeny Tested सांडों का फोजन रीमेन तथा सांडों का उपयोग किया जायेगा।

3. राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लिए 1000 एवं पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 750 प्रजनन योग्य पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/प्राइवेट ए०आई० कार्यकर्ता उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वर्ष 2015 तक संगतित पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रजनन योग्य पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालक के द्वारा पर उपलब्ध कराई जायेगी।

4. पशुपालकों को उत्तम पशुओं के उत्पादन हेतु प्रजनन, विकित्सा, टीकाकरण, डिवर्मिंग, चारा उत्पादन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ—साथ निकृष्ट सांडों/मेढ़ों/बकरों का बधियाकरण किया जायेगा।

5. उत्तम दूधार पशुओं को फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत करके पशुपालकों को उनके क्रय—विक्रय में सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे उन्हें अपने पशु एवं उनकी संतुलितों का सामुद्रित मूल्य प्रित दिया जाए।

6. पशुधन से सम्बन्धित आंकड़ों के रख—रखाव एवं उनका अभिलेखीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत गोवशीय/महिषवशीय पशुओं की फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग/प्रोजनी टैस्टिंग करके जनहित में उनकी सायर डायरेक्ट्री तैयार कराई जायेगी।

7. गाय एवं मैंस की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु उनके उत्तम गुणवत्ता वाले सांडों का चयन करके अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन किया जायेगा, जिससे कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा स्थानीय नस्ल का उन्नयन (Upgrading) किया जा सके।

8. क्रासब्रेड भेडँ की Upgrading हेतु मेरिनो एवं रैम्बुले नस्ल के शुद्ध वंशीय भेडँ उपलब्ध/वितरित कराये जायेगे, जिससे उन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

9. शुद्ध स्थानीय नस्ल की भेडँ हेतु उन्नत गुणवत्ता वाले भेडँ का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

10. बकरियों हेतु स्थानीय प्रजाति के ही उत्तम गुणवत्ता वाले बकरों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

11. शशकों के प्रजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले नर अंगोरा जर्मन शशकों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

12. सूकरों के प्रजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले नर याक शायर/लार्ज हाईट याक शायर उपलब्ध कराये जायेंगे।

13. खच्चर, उत्पादन हेतु स्थानीय घोड़ियों के नैसर्जिक अभिजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले Donkey Stallion अथवा कृत्रिम गर्भाधान हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले Donkey Stallion का अतिहिमीकृत वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा।

14. याक पशुओं हेतु उत्तम गुणवत्ता के याक सांडों की आपूर्ति करके उनके प्रजनन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

15. कामार्शीयल हाईब्रिड पोल्ट्री का प्रजनन कार्य इस क्षेत्र में कार्यरत निझी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

16. घरेलू कुकुट पालन हेतु स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) देशी भीड़ के कुकुटों में चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा और देश की अन्य उत्तम कुकुट प्रजातियों यथा-पंजाब ब्राउन, शुद्ध असील या उनकी संकर नस्लों की केन्द्रीय संस्थानों एवं अन्य राज्यों से आपूर्ति करके उनका उत्पादन किया जायेगा और नस्ल सुधार हेतु कुकुट पालकों में उनका वितरण किया जायेगा।

17. स्वरोजगार हेतु क्रौंच्यलर (Kuroiler) चूजों के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

18. सहकारिताओं, स्वैच्छिक संगठनों, नस्ल सुधार समितियों तथा कृषकों/पशुपालकों को उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा तथा पशुधन विकास से सम्बन्धित अनुसंधान प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण संस्थानों एवं मानव संसाधन विकास केन्द्रों की स्थापना पर बल दिया जायेगा।

19. प्राइवेट सेक्टर तथा गैरसरकारी संगठनों को आवश्यक निवेशों तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।

20. विमानीय अवस्थापना यथा-पशुविकित्सालयों, नैदानिक उत्पादन इकाइयों, वीर्य उत्पादन केन्द्रों, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, गौशालाओं, पशुधन तथा कुकुट प्रजनन प्रबोरों और प्रदर्शन इकाइयों के प्रमाणी उपयोग के लिये इनका पुनर्सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण किया जायेगा और पशुधन सेक्टर में प्रसार सम्बन्धी अवस्थापना में भी मौलिक सुधार किया जायेगा।

21. इस नीति के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार शासन, विभाग, एवं विभिन्न संस्थाओं/बोर्डों, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं लाभार्थियों/पशुपालकों के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग (MOU) भी किया जायेगा, जिससे पशुधन प्रजनन नीति का तीव्रतर कार्यान्वयन संभव हो सके।

प्रधानमंत्री द्वारा ५० अरब रुपये का पशुपालन योजना
उत्तराञ्चल असाधारण, गुजरात, २६ मई, २००५, ई० (ज्येष्ठ ०५, १९२७ शक सम्वत)

(आधारभूत सूचनाएँ)

उद्देश्य— प्रदेश में पशुपालन को रोजगार प्रक्रियाएँ के रूप में प्रोत्साहित करना।

रणनीति— पशुविकित्सालयों, पशुसेवा केन्द्रों, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/उपकेन्द्रों आदि विमानीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को पशुविकित्सा एवं पशु प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराना।

लक्ष्य— दूध, कन, अण्डा, मांस आदि पशुजन्य उत्पादों के औसत उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि कर पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभान्वित करना।

स्थापना— १९४४।

मुख्यालय— गोपेश्वर (चमोली)।

विमानीय संस्थाएँ एवं पशु गणना (2003):

क्रमांक	विवरण	संख्या	क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	पशुविकित्सालय	291	15.	सूकर प्रदेश	02
2.	पशुआधारालय	584	16.	कन श्रेणीकरण केन्द्र	01
3.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	413	17.	गोवर्शीय पशु	21.882 लाख
4.	रोग निदान प्रयोगशाला	04	18.	महिषवंशीय पशु	12.282 लाख
5.	पशुधन प्रदेश	02	19.	मेड	2.958 लाख
6.	मेड प्रदेश	14	20.	बकरी	11.583 लाख
7.	अंगोरा बकरी प्रदेश	01	21.	घोड़ा/टट्टू	0.174 लाख
8.	अंगोरा शशक प्रदेश	05	22.	खाचर	0.217 लाख
9.	कुकुट प्रदेश	04	23.	सूकर	0.37 लाख
10.	सधन कुकुट विकास प्रयोजना	08	24.	गधा	0.007 लाख
11.	मेड एवं कन प्रसार केन्द्र/गेडा केन्द्र	113	25.	याक	0.003 लाख
12.	तरल नवजन उत्पादन केन्द्र	01	26.	कुत्ता	2.66 लाख
13.	बछड़ा पालन केन्द्र	01	27.	खरगोश	0.07 लाख
14.	अश्व प्रजनन इकाई	01	28.	कुकुट पश्ची	19.84 लाख

योजनाएँ—

- पशुविकित्सा एवं पशु रक्षण सेवाएँ
- गाय एवं भैंस विकास
- कुकुट विकास
- भेड़ एवं कन विकास
- सूकर विकास
- अन्य पशुधन विकास
- बारा एवं वारागाह विकास
- आवेदकर विरोध रोजगार योजना

संचालित कार्यक्रम—

- पशुधिकित्सा
- कृत्रिम गर्भाधान
- टीकाकरण
- बधियाकरण
- चारा बीज वितरण
- कुकुट वितरण
- दवापान
- दवास्नान

उत्तरांचल राज्य की जनपदवार पशुधन गणना—2003

क्र० जनपद सं० का नाम	गोबंधीय महिषवशीय भेड़ बकरी	घोड़े— टटदू	सूकर	अन्य पशु	कुल पशु	कुते खरगोश	कुकुट	अन्य कुकुट	कुल कुकुट							
										1	2	3	4	5	6	
1. बद्रगढ़ा	237743	109728	4890	171732	916	771	646	526428	19301	421	62567	12	62579			
2. बायोरवर	121121	42250	19983	81105	322	72	1405	266258	9432	97	14724	13	14737			
3. नैनीताल	170583	123108	178	63207	2728	1176	1102	362080	40952	735	216729	194	216923			
4. छोट्यांतिंग नगर	123951	175905	2157	44514	1327	2646	303	350803	37335	416	981860	15864	997724			
5. फिरोरागढ़	240748	86877	32804	145173	1043	151	1343	508139	16149	1289	50478	28	50506			
6. घन्यावड	99637	37621	58	48492	982	605	212	187807	9714	314	58324	334	58658			
7. देहसादुन	187908	71685	22176	118672	2571	7273	1494	409779	39864	260	359300	331	359631			
8. पौड़ी	357553	66372	33963	150575	1210	980	2746	613398	20030	694	68557	54	68611			
9. ठिठरी	123160	115050	14811	101981	1443	2065	3621	362131	14409	1204	29393	0	29393			
10. उत्तरांचली	106827	38690	101298	95593	1489	480	4818	349185	6932	50	39429	0	39429			
11. वायोर्ती	188455	55153	45653	78182	1246	374	3774	372815	14378	964	18864	0	18864			
12. ऊद्धर्याग	102428	37222	15636	39726	469	130	1212	196823	5026	239	5606	0	5606			
13. हारिंदार	128068	268535	2270	21285	1675	15989	102	437904	32314	166	63201	121	63322			
योग राज्य	2188182	1228194	295845	115819717421	32712	22778	4943329	265836	6849	1967032	18951	1983983				

उत्तरांचल पशु गणना में प्राप्त परिवर्तन दर

(लाख में)

क्रमांक	प्रजाति	1993	1997	% अन्तर	2003	% अन्तर	वार्षिक अन्तर %
1.	गाय	21.324	20.309	(-) 4.76	21.882	(+) 7.75	(+) < 1
2.	मैंस	10.641	10.943	(+) 2.83	12.282	(+) 12.24	(+) < 2
3.	मेरु	3.594	3.107	(-) 13.55	2.958	(-) 4.80	(-) < 1
4.	बकरी	10.975	10.857	(-) 1.08	11.581	(+) 6.67	(+) < 1
5.	घोड़े / खच्चर / गर्दम	0.202	0.236	(+) 16.44	0.398	(+) 66.53	(+) < 10
6.	सूकर	0.252	0.315	(+) 24.72	0.327	(+) 3.81	(+) > 01
7.	कुकुट	8.454	9.723	(+) 15.00	19.84	(+) 104.05	(+) < 17

10 उत्तरांचल असाधारण गजट, 26 मई, 2005 ई० (ज्येष्ठ 05, 1927 शक समवत्)

उत्तरांचल में प्रजनन योग्य गाय एवं भैंसों की गणना में प्राप्त परिवर्तन दर

(संख्या)

क्रमांक	प्रजाति	नस्ल	पशु गणना		% अन्तर
			1997	2003	
1. गाय—	क्रौंसब्रीड	जर्सी	77488		
		एच०एफ०	16353		
		अन्य	13160		
	योग		46301	107001	(+) 131 %
2. गाय—	देरी	हरियाणा	5187		
		साहीवाल	3957		
		रेड सिन्धी	1499		
		अवर्गीकृत	640024		
	योग		625000	650667	(+) 4 %
	कुल प्रजनन योग्य गाय		671301	757668	(+) 12 %
3. भैंस		मुर्सा	97655		
		भदावरी	17977		
		अन्य	620888		
	कुल प्रजनन योग्य भैंस		655071	736520	(+) 12 %
	कुल प्रजनन योग्य योग (गाय + भैंस)		1326372	1494188	(+) 12 %

उत्तरांचल में दुग्ध उत्पादन (1997–2004)

(000' मीट्रिक टन)

1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04
856.23	916.64	952.45	1025.97	1066.00	1079.00	1188.00

उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

(UTTARANCHAL LIVESTOCK DEVELOPMENT BOARD)

उद्देश्य : सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन/नस्ल सुधार एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीक द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त योजनाओं को स्वावलम्बी बना कर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना।

परिचय :

- स्थापना — जुलाई 2002।
- मुख्यालय — 233/1, वसन्त विहार, देहरादून।
- पंजीकरण संख्या — 343 दिनांक 27.06.2001 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)।
- पायोजना — भारत सरकार की राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना।
- लागत — 607.8 लाख रुपये।

शाखाएँ—

उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड



अतिहिमीकृत वीर्य	सीमेन वैंक,	प्रशिक्षण केन्द्र,	भूग्र प्रत्यारोपण	पशु प्रजनन
चत्पादन केन्द्र,	श्यामपुर (ऋषिकेश)	पशुलोक (ऋषिकेश)	केन्द्र, लालकुंआ, (नीनीताल)	फार्म, कालसी (देहरादून)
श्यामपुर (ऋषिकेश)	एवं लालकुंआ (नीनीताल)			

संचालित कार्यक्रम :

- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन कार्यक्रम—आई०एस०ओ० प्रमाणित केन्द्र द्वारा उच्च गुणवत्ता के अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन कर कृत्रिम गर्भाधान इकाइयों को वितरित करना।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम—पशुपालक के द्वारा पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पशुपालन विभाग, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आदि के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/पैरावेट्स/इकाइयों को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं अन्य इनपुट्स आदि की निरन्तर नियमित अन्तराल पर आपूर्ति करना व उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना।
- नैसारिंग अभियनन कार्यक्रम—पशुपालन विभाग एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों आदि की संस्थान के अनुसार पर्वतीय जनपदों के पशुपालकों को दरिन्द्रा पद्धति पर उच्च गुणवत्ता वाले गाय एवं गैसा सांडों की आपूर्ति करना व उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम—पशुपालन व्यवसाय से जुड़े कृषकों, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं, सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों आदि को उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र अथवा अन्य स्थान प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण करवाना।
- भूग्र प्रत्यारोपण कार्यक्रम—पशुपालक के द्वारा पर भूग्र प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा उच्चतम गुणवत्ता के पशुओं का उत्पादन करना।
- फील्ड परफार्मेंस रिकार्डिंग कार्यक्रम—पशुपालकों के उत्तम दुधारु पशुओं (गाय एवं गैस) की संदेल हड्ड रजिस्ट्रेशन योजना के अनुसार फील्ड रिकार्डिंग करना जिससे उनके क्रय-विक्रय में सुविधा प्रदान करके पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सके और उन्हें अपने पशु का समुचित मूल्य मिल सके।
- चारा विकास कार्यक्रम—
 - प्रत्येक पर्वतीय जनपद में चयनित वन पंचायतों में बहुवर्षीय अल्पाइन चारा घासों, नैपियर तथा गुणी घासों आदि के प्रदर्शन एवं वितरण हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस का विकास करना।
 - भूस तथा पुआल को पौधिक, सूपाच्य तथा परिवहन योग्य बनाने के लिये पांच-पांच किलोड्याम गार दाले कार्पैक्ट फीड रास्ट्रीमेन्ट ब्लाक का निर्माण करना।
 - 2.5 किलोग्राम भार के पशु चाटन (Urea-Molasses Brick) का निर्माण करना।

उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड
(Uttaranchal Sheep & Wool Development Board)

उद्देश्य— उत्तरांचल में भेड़ों की मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम संचालन, बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण तथा नस्ल सुधार कर भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन एवं अन्य उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। नई तकनीक की जानकारी देकर भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा उनके स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग करना।

परिचय—

- रथापना — अक्टूबर 2003।
- मुख्यालय — देहरादून।
- पंजीकरण संख्या = 1998 दिनांक 31.10.2003 (सौशाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं० 1860 के अन्तर्गत)।

संचालित कार्यक्रम—

• बोर्ड द्वारा 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, 05 अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 रोग निदान प्रयोगशाला, 01 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, 01 ऊन श्रृणीकरण/अय-विक्रय केन्द्र तथा 03 सचल बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों को पशुपालन विभाग के सहयोग से संचालित करना।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम—भेड़ों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, निकृष्ट भेड़ों में बधियाकरण तथा भेड़ों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करना।

• नस्ल सुधार कार्यक्रम—राज्य के प्रगतिशील भेड़पालकों को उनकी भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजनन हेतु भेड़ों का निःशुल्क वितरण।

• उत्पादकता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत :

- भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाये जाने हेतु भेड़पालकों को शिखित/जागरूक करना।
- ऊन यैंडिंग कार्यक्रम में भेड़ों से प्राप्त ऊन की प्राथमिक यैंडिंग का कार्य प्रारम्भ कराना।
- मशीन द्वारा ऊन कतरने/काटने के लिए भेड़पालकों को शिखित एवं जागरूक करना।
- उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में भेड़पालकों को अपेक्षित सहायता एवं मार्फ दर्शन देना।
- भेड़पालकों को ग्राम स्तर पर भेड़ों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीक की जानकारी देना, भेड़ों के प्रबन्धन, प्रमुख रोग एवं उनका निदान तथा मशीन द्वारा ऊन कतरन आदि विषयों पर भेड़पालकों प्रशिक्षित/जागरूक/शिखित करना।
- भेड़पालकों के स्वयं सहायता समूह गठन तथा गैर राजकीय संस्थाओं के घरन/गठन में सहयोग करना।
- कालसी (देहरादून), मुनिकोरीती (टिहरी), झुण्डा (उत्तरकाशी), मुन्स्यारी (पिथौरागढ़), ग्वालदम (वाराणी) में पांच नये भेड़ बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की रथापना कर उन्हें संचालित करना।

डेयरी विकास विभाग

(आधारभूत सूचनाएं)

उद्देश्य— भूमिहीन, सीमान्त लघु ग्रामीण कृषकों/दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से संगठित कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना।

रणनीति— ग्रामीण रसर पर गठित सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पादित दूध का उचित मूल्य देकर बिचोलियों के शोषण से मुक्ति दिलाना।

लक्ष्य— उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता का दूध एवं दुग्ध पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।

मुख्यालय— हल्द्वानी (नैनीताल)।

इनकास्ट्रुक्चर रिप्टिः

क्रमांक	जनपद	डेयरी/अवशीतन संयंत्र	स्थापित कामता	उपार्जन (ली०/दिन)	दुग्ध समिति (संख्या)	सदस्यता (ली०)
1.	अल्मोड़ा	डेयरी संयंत्र, अल्मोड़ा अवशीतन संयंत्र, ताड़ीखेत अवशीतन संयंत्र, चौखुटिया अवशीतन संयंत्र, मारचूला	10000 500 2000 2000	52965	265	15140
2.	बागेश्वर	अवशीतन संयंत्र, बागेश्वर	2000			
3.	चमोली	डेयरी संयंत्र, सिमली	5000	3100	110	
4.	चम्पावत	अवशीतन संयंत्र, चम्पावत	5000			
5.	देहरादून	डेयरी संयंत्र, देहरादून बल्क कूलर	20000 1000	9338	250	12305
6.	हरिद्वार	बल्क कूलर	5000			
7.	नैनीताल	डेयरी संयंत्र, लालकुआं अवशीतन संयंत्र, भवाली	50000 20000			
8.	पौड़ी	डेयरी संयंत्र, श्रीनगर अवशीतन संयंत्र, कोटद्वार	20000 5000	7500	182	9203
9.	पिथौरागढ़	डेयरी संयंत्र, पिथौरागढ़ अवशीतन संयंत्र, थल	5000 2000			
10.	रुद्रप्रयाग	बल्क कूलर, सुमारी	1000			
11.	टिहरी	डेयरी संयंत्र, नई टिहरी	5000			
12.	काघमसिंह नगर	अवशीतन संयंत्र, बाजपुर अवशीतन संयंत्र, खटीमा	20000 20000	36735	329	16500
13.	उत्तरकाशी	डेयरी संयंत्र, मातली	5000			
	योग	डेयरी संयंत्र	120000	84570	1815	92796
		अवशीतन संयंत्र		85500		

प्रमुख योजनाएँ - प्राची लाकड़ी फ़िल्म

- ## 1. गुजर विकास योजना

- ## 2. सहकारी चारा विकास योजना

3. मणि मन्त्रालयोपण मुख्योद्घाटना विभाग अधिकारी प्रबन्ध संस्थानी उपर्याप्ति -प्रतिक्रिया

४. प्रतिना तेजी विकास प्रतिनोद्धवा

४. नाहलों छवरा विकास पारवाजना

- ### 5. संधन विना उत्थरा पारथाजना

- ## 6. स्पेशल कम्पोर्नेंट प्लान

- ## 7. खत्ता विकास योजना

- #### 8. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना | 117

- #### 9. साहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण योजना

- #### 10. पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम

- #### • प्राथमिक प्रश्नाविकल्प

- ఆక్రమిక (అంగీకారిత) ప్రాచీనికా ఏప్రస్తరాలు

- आकास्थक (जापानीका)
 - अंतर्राष्ट्रीय विभिन्नों तकी

- वाङ्मयन् [शावरा का व्यवस्था]

- पशुआ का नस्ल सुधार

- ० नैसर्गिक गमधान ३४८ राष्ट्रीय एक्सप्रेस

- ## ० कृत्रिम गम्भाघान

आज्ञा से

नवीन चन्द्र शर्मा,
सचिव ।

पी०ए०य० (आर०ई०) ०२ पञ्चांग मत्स्य /१९८-२००५-८५+३०० (कम्प्युटर / शीजियो)